जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 07.01.2025

साइबर क्राइम थाना, जनपदीय सोशल मीडिया सेल की संयुक्त टीम द्वारा डिजिटल वॉरियर्स कार्यशाला का आयोजन कर किया गया प्रशिक्षित

आज दिनांक 07.01.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना ***श्री आलोक सोनी*** के नेतृत्व मे हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर में अध्यापकगण को डिजिटल वॉरियर्स बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। जागरुक किया गया कि डिजिटल वॉरियर्स के क्या काम होंगे जैसे अफवाहों को रोकना, अफवाहों को खंडन करना, सोशल मीडिया पर ऐसे फेक न्यूज़ जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं उनका खंडन करना, सोशल मीडिया के किसी भी सूचना को बिना जाने समझे शेयर ना करना पुलिस के कार्यों को प्रोत्साहित करना। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक द्वारा जारी किए गाइडलाइन के अनुसार डिजिटल वॉरियर्स बनाए जा रहे हैं इसके साथ-साथ साइबर क्राइम जागरूकता जिसमें खास तौर से डिजिटल हाउस अरेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया कि हम कैसे इस नए प्रकार के साइबर क्राइम से बच सके।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता बुद्धिसागर पुत्र जुगुल किशोर निवासी बालूशासन बघौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सूर्यभान यादव, हे0 का0 भरत यादव,का0 उत्तम मद्धेशिया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6006 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6006 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बालू शासन से कालर द्वारा दो बाइकों के आपस में टकरा

जाने से घायल 03 व्यक्तियों (1. सचिन पुत्र हरिश्चन्द्र 2. सिताबी पुत्र अंगद 3. अंगद पुत्र सुक्खू निवासीगण बालू शासन थाना को0 खलीलाबाद जनपद-सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल संतकबीरनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल संतकबीरनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 सुदामा यादव, आ0 आशीष शुक्ला, हो0चा0 रविन्द्र यादव।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 114 वाहनों से 1,50,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 114 वाहनों से 1,50,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 07.01.2025 को ***मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा ***थाना दुधारा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 374/2022 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त इन्द्रजीत राजभर पुत्र रामफल राजभर निवासी परसोहिया सिगियहवा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभि0 को 01 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त मामले धारा 4/25 आर्मस एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 500 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभि0 को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। अभि0 के दोनों आरोप की सजायें साथ-साथ चलेगी।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के संबंध में 02 अभियुक्तगण को 09-09 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु नियमानुसार अवमुक्त किया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 07.01.2025 को *मा0 न्यायालय जिला जज संतकबीरनगर* द्वारा **थाना धनघटा** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 357/2004 धारा 308/34,504 तथा 506(2) भा0द0वि0 के आरोप से अभियुक्तगण 01. केदार पुत्र राम मनोहर 02. देवान्द पुत्र बाढ़ू निवासीगण कटया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दोषमुक्त किया गया है व अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 323/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए उक्त धारा में वर्णित अर्थदण्ड या कारावास के दण्ड से दण्डित न करते हुए अभियुक्तगण को परिविक्षा अधिनियम की धारा ¾ सपठित धारा 360 भादवि0 का लाभ देते हुए उन्हें 09-09 माह तक सदाचार बनाये रखने की शर्त पर अवमुक्त किया गया है।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के मारपीट के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 07.01.2025 को ***ए0स0जे0 प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 979/2011 अन्तर्गत धारा 323 भादवि0 के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता विशम्भर नाथ दुबे निवासी महसिन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि 03 माह 17 दिन के कारावास व 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है व अभियुक्ता शान्ती देवी को अन्तर्गत धारा 323 भादवि0,खलीलाबाद संतकबीरनगर के आरोप में जेल में बतायी गयी अवधि 03 माह 04 दिन के कारावास व 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न जमा करने पर अभियुक्तगण को 01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 04 स्थानो पर लगवाये गये 14 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 07.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 04 स्थानो पर 14 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 03 स्थानो पर 11 कैमरा, थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियो को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में अभियुक्त को 08 माह का सश्रम कारावास व 500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 07.01.2025 को ***ए0स0जे0/पाक्सो जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा *थाना महुली* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 33/2013 अन्तर्गत धारा 323 भादवि के मामलें में दोषसिद्व अभियुक्त नाम पता झिनक पुत्र ब्रह्मदेव निवासीगण कोल्हुआ थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आरोप में 08 माह का सश्रम कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न जमा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम व मारपीट के मामले में अभियुक्त को 02 साल का सश्रम कारावास व कुल 1500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 07.01.2025 को ***ए0स0जे0/पाक्सो जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा *थाना महुली* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 33ए/2013 अन्तर्गत 3(1)Xएससीएसटी एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता झारखण्डे तिवारी पुत्र श्यामलाल तिवारी निवासीगण कोल्हुआ थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आरोप में 02 साल का सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न जमा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा व धारा-323 भादवि में 08 माह का सश्रम कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न जमा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।